कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 95 / 2025

श्री विपिन कुमार कोटेड, सम्पादक, समानता दैनिक न्यूज पेपर, वाई पास रोड, सवेला नियर एल.आई.सी. ऑफिस, डूँगरपुर राज0

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी नदबई

.......रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 16.01.2026**

अपीलार्थी श्री विपिन कुमार कोटेड, सम्पादक, समानता दैनिक न्यूज पेपर, वाई पास रोड, सवेला नियर एल.आई.सी. ऑफिस, डूँगरपुर राज0 की सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 के अन्तर्गत ऑनलाईन अपील संख्या 060861114792126 से इस आश्य की प्राप्त हुई है कि प्रार्थी / अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी नदबई, से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 2025 / 1055 दिनांक 26.12.2025 के द्वारा अपील की प्रति भेजकर लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी नदबई से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी नदबई का जबाब पत्रांक आरटीआई / 26 / 02 दिनांक 02.01.2026 से प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी / प्रार्थी ने अपील में कथन किया है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र से चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी ने उपलब्ध नहीं कराई हैं, प्रार्थी ने चाही गई सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया है।

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी नदबई से प्राप्त जबाव का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी नदबई ने अपने जबाब में अंकित किया है कि''.......... आवेदक द्वारा चाही गई सूचना,

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील / आरटीआई / 95 / 2025
विपिन कुमार कोटेड बनाम लो.सू.अ. उपखण्डाधिकारी नदबई

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(10) के अनुसार व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित होने एवं सूचना का प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से सम्बन्ध नहीं रखने के कारण आवेदक का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन निर्धारित समय सीमा में मय कारण अंकित कर निरस्त कर दिया गया था।....''

लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी नदबई से प्राप्त जबाब पत्रादि से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र से आवेदक द्वारा चाही गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (ज) के अनुसार व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित होने एवं सूचना का प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से सम्बन्ध नहीं रखने के कारण सूचना उपलब्ध कराये जाने से इन्कार किया है। इस बाबत् प्रार्थी को भी अवगत कराया जा चुका है। लोक सूचना अधिकारी के जबाब से स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब की प्रति सहित) एवं लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी नदबई को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर